न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्र.सं. 72/2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/145

बलदेव कौर आदि बनाम बंता सिंह आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188 राज. काश्त. अधि.

उपस्थिति :–
1. श्री इकबला कुरैशी, अधिवक्ता प्रार्थी(प्रतिवादी सं. 2,3,4)
2. श्री साहिब बाघला, अधिवक्ता अप्रार्थी(वादी)

–:: आदेश प्रार्थना पत्र ::–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी

दिनांक : 11/06/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि –

1. प्रतिवादी सं. 2,3,4 जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह कि वादीगण संख्या 1 ता 5 बलदेव कौर आदि ने एक वाद धारा 53, 88, 188 आर.टी. एक्ट के तहत न्यायालय हाजा में पेश किया है। जिसमें वादीगण ने कृषि भूमि चक 5 जी.बी. (बी), तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 7 प.नं. 132/382 की 6.200 है. नहरी खातेदारी कृषि भूमि में से 3/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से संयुक्त खाता में राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज होना बताकर व उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि हिन्दू अविभाजित परिवार की पैतृक सम्पति होना बताकर वाद पेश किया है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्म से हित निहित होना बताया है। जो कि वादीगण ने जानबूझकर सही तथ्यों को छुपाकर व तोड़ मरोड़ कर वाद पेश किया है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 बन्ता सिंह पुत्र श्री जग्गा सिंह व उसके भाई बलवीर सिंह पुत्र जग्गा सिंह कम्बोसिख निवासीगण 5 जी. बी. (बी) को उक्त भूमि अलॉटमेन्ट हुई थी। उक्त भूमि पैतृक भूमि नहीं है। ना ही उक्त भूमि जग्गा सिंह को आवंटित हुई थी और जग्गा सिंह के वारिसान होने के कारण विरास्तन प्रतिवादी संख्या 1 बन्ता सिंह व उसके परिवार को प्राप्त नहीं हुई थी बल्कि उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 बन्ता सिंह व उसके भाई बलवीर सिंह पुत्र जग्गा सिंह को उक्त भूमि आवंटित हुई थी। जो स्वःअर्जित भूमि की श्रेणी में आती है। चक 5 जी.बी. (बी) के मु.नं. 7 प.नं.132/382 के रकबा 6.200 है. कमाण्ड में से 1//// हिस्सा यानि 3.100 है. नहरी रकबा बन्ता सिंह पुत्र जग्गा सिंह को व 1/2 हिस्सा बलवीर सिंह पुत्र जग्गा सिंह को आवंटित हुआ था। जिसकी खातेदारी सनद पूर्व में पूरे परिवार के नाम से आ जाने के कारण बन्ता सिंह द्वारा अपने जीवन काल में माननीय अदालत उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर के न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर खातेदारी सनद को दुरूस्त करवायी थी। जिसका प्रकरण संख्या 72/2016 निर्णय दिनांक 06.02.2017 को किया जाकर सनद दुरूस्ती का आदेश फरमाया गया। जिसके मुताबिक खातेदारी सनद में मूल आवंटी बन्ता सिंह एवं बलवीर सिंह पुत्रान जग्गा सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 5 जी.बी. (बी) का 1/2 – 1/2 बहिस्सा बराबर दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया गया था। जिससे सनद दुरूस्ती कर जारी की गई व राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज [illegible] जारी किया गया। बलवीर सिंह पुत्र जग्गा सिंह ने अपना 1/2 हि[illegible] रजिस्टर्ड बैयनामा श्रीमान उप–पंजीयक महोदय श्री विजयनगर [illegible] होकर 1/2 हिस्सा यानि 1.550 है. अपने सगे भाई बन्ता सिंह [illegible] 1.550 है. अपने भतीजे हरवैल सिंह पुत्र बन्ता सिंह को बेच कर [illegible] तस्दीक करवा दिया। [illegible] तरह बलवीर सिंह का उक्त भूमि में कोई हिस्सा न[illegible] रहा तथा बन्ता सिंह के अपने स्वयं की उक्त मुरब्बा में से 1/2 हिस्सा यानि 3.100 है. कमाण्ड व बल[illegible] सिंह पुत्र जग्गा सिंह से खरीद की हुई 1.550 है. कमाण्ड भूमि कुल 4.650 है. भूमि स्वामित्व व कब्जा काश्त में आ गई। बन्ता सिंह पुत्र जग्गा सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 5 जी.बी. (बी) ने अपने जीवन काल में अपनी उक्त मुरब्बा नं. 7 प.नं. 132/382 के खाता संख्या 56 का रकबा 4.650 है. नहरी खातेदारी रकबा मे से 1/2 हिस्सा यानि 2.325 है. नहरी रकबा अपने हकीकी पुत्र मनप्रीत सिंह पुत्र हरवैल सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 5 जी.बी. (बी) तहसील श्री विजयनगर को जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:40:04 IST
Reason: SelfAttested

[खण्ड अधिकारी
ी विजयनगर]

रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 16.10.2017 को दान में दे दी तथा उक्त दान पत्र को उप–पंजीयक जैतसर के रिकॉर्ड पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 32 पृष्ठ संख्या 127 क्रम संख्या 201703118101259 से पंजीबद्ध करवा दिया। जो बन्ता सिंह ने अपने जीवन काल में स्वयं उप–पंजीयक कार्यालय जैतसर में उपस्थित होकर करवाया था। उक्त दस्तावेज दान पत्र के दो गवाह गुरप्रीत सिंह पुत्र हरवैल सिंह कम्बोसिख निवासी 5 जी.बी. (बी) व राज कुमार पुत्र श्री भगवानदास जाति स्वामी निवासी जैतसर को बनाया गया था। गवाह भी उप–पंजीयक के समक्ष उसके कार्यालय में उपस्थित हुए थे। व अपने दस्तखत तथा अंगूठा निशानी की थी। इसी तरह से प्रतिवादी संख्या 1 बन्ता सिंह ने अपने जीवन काल में अपनी उक्त मुरब्बा नं. 7 प. नं. 132/382 के खाता संख्या 35/56 की शेष भूमि रकबा 2.325 है. नहरी खातेदारी रकबा को दो अलग अलग दान पत्रों .के जरिये अपने पोत्र गुरप्रीत सिंह पुत्र हरवैल सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 5 जी.बी. (ए) तहसील श्री विजयनगर को उप–पंजीयक कार्यालय जैतसर में उपस्थित होकर दिनांक 29.08.2022 को उप–पंजीयक कार्यालय जैतसर के रिकॉर्ड में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 66 पृष्ठ संख्या 143 क्रम संख्या 202203118101111 व दूसरा दान पत्र पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 66 पृष्ठ संख्या 144 क्रम संख्या 202203118101112 पर उक्त दान पत्रों का पंजीयन करवा दिया। तथा जरिये दान पत्र अपनी शेष भूमि 2.325 है. भूमि को जरिये दान अपने पोत्र को दे दी। इस तरह प्रतिवादी संख्या 1 बन्ता सिंह ने अपने जीवन काल में ही अपने हिस्से की समस्त भूमि को अपने दो पोत्रों मनप्रीत सिंह व गुरप्रीत सिंह को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दे दी। जब बन्ता सिंह के पास किसी तरह की कोई भूमि शेष रही ही नही तो वादीगण को न्यायालय हाजा में वाद पेश करने का कोई वाद कारण व बिनाए मुखास्तम प्राप्त ही नहीं है ना ही वाद पत्र पेश करने का कोई कानूनन अधिकार रहा है। जब तक प्रतिवादी संख्या 1 बन्ता सिंह के द्वारा रजिस्टर्ड बैयनामों को सम्बन्धित व सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं करवाया जाता तब तक राजस्व न्यायालय को उक्त चक 5 जी.बी. (बी) के मु.नं. 7 प.नं. 132/382 का रकबा 6.200 है. कमाण्ड भूमि 1/2 हिस्सा से किसी तरह का भी अनुतोष प्रतिवादीगण से प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। वादीगण का वाद विधि विरूद्ध निषेध होने के कारण वाद पत्र इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। वादीगण का वाद विधि विरूद्ध होने के कारण वाद पत्र को निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया।

2. वादी जरिए अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अनवानी वाद पत्र पेश कर कृषि भूमि वाके चक–5 जीबी (बी) तहसील श्रीविजयनगर का मुरब्बा नं–7 पत्थर सं–132/382 की 25 बीघा यानि 6.2000 हैक्टर नहरी खातेदारी कृषि भूमि में से 3/8 हिस्सा प्रतिवादी सं–1 के नाम से सयुक्त खाता में राजस्व रिकार्ड मे बतौर खातेदारी दर्ज होने के तथ्य अस्वीकार है शेष तथ्य अस्वीकार है। उक्त कृषि भूमि बंतासिंह व उसके भाई को आवंटन होने के संबंध मे प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ किसी प्रकार का दस्तावेजी सबुत पेश नही किया है। वादीगण ने अपने वाद पत्र की मद सं–4 में स्पष्ट दर्ज किया है कि प्रतिवादी सं–1 जो कि वर्तमान मे अपनी पुत्र वधु प्रतिवादीया सं–2 जसवीरकौर पत्नी स्व० हरवेलसिंह के परिवार के साथ निवास कर रहा है। लेकिन अब प्रतिवादीगण सं–2 ता 6 ने प्रतिवादी सं–1 को जबरदस्ती अवैध [illegible] कमरे में बंद कर रखा है तथा प्रतिवादीगण सं–2 ता 6 प्रतिवादी [illegible] से बाहर भी निकलने नही देते है तथा ना ही वादीगण [illegible] वादी सं–1 से मिलने देते है तथा प्रतिवादीगण सं–2 ता 6 [illegible] मे रखते है तथा प्रतिवादीगण सं–2 ता 6 प्रतिवादी [illegible] वादग्रस्त कृषि भूमि को अपने नाम से करवाने की फिराक मे रहते है। अब प्रतिवादीगण अपने प्रार्थना पत्र मे दिनांक 16–10–2017 को दान पत्र मनप्रीतसिंह [illegible] दिनांक 29–8–2022 को दान पत्र गुरप्रीतसिंह के पक्ष मे होने का कथन कर रहे है लेकिन वाद प्रस्तुत करने से पूर्व जब वादीगण द्वारा पंचायत की गई थी तो प्रतिवादीगण ने पंचायत के समक्ष इन दस्तावेजो के संबंध मे कोई तथ्य उजागर नही किए गए है। इसलिए वादीगण द्वारा सद्भाविक रूप से यह वाद प्रस्तुत किया गया है जो कतई विधि विरूद्ध नहीं है वादीगण ने सद्भाविक रूप से यह वाद प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया।

खण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:40:04 IST
Reason: SelfAttested

3. बहस वकील उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र पर सुनी गयी। वकील उभयपक्ष अपनी बहस में प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया। प्रार्थी/प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि पर वादीगण किसी प्रकार के अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं है, विवादित भूमि बन्ता सिंह की स्वअर्जित आवंटित एवं क्रय की हुई थी जो कि उनके द्वारा जरिए पंजीबद्ध दान पत्रों के माध्यम से हस्तान्तरित कर दी गयी है, ऐसी स्थिति में जब तक पंजीबद्ध दस्तावेजों को शून्य घोषित नहीं किया जाता है वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादीगण द्वारा वाद पत्र में विवादित भूमि विरासतन प्राप्त होना अंकित किया है जबकि भूमि प्रतिवादी सं. 1 की स्वअर्जित सम्पति थी। मिथ्या तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश किया गया है। वादीगण को वादकारण हासिल नहीं होने के कारण वाद पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर इसी स्तर पर वाद पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी/वादीगण अपनी बहस में कथन किया कि प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र की बहस समझा जावे। प्रतिवादी सं. 1 बन्ता सिंह की मृत्यु हो चुकी है जिनके विधिक वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण पहले से ही पत्रावली पर उपलब्ध है। वाद पत्र पर निर्णय वाद बिन्दू कायम कर साक्ष्यों के आधार पर गुणावगुण पर विवेचन कर किया जाना है। प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज करने हेतु निवेदन किया।

4. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा वादपत्र में अंकित विवादित भूमि प्रतिवादी सं. 1 बन्ता सिंह को अपने पिता जग्गा सिंह के विरास्तन प्राप्त होने तथा विवादित भूमि में वादीगण का पैतृक हिस्सा निहित होने से विवादित भूमि में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज छायाप्रति उप पंजीयक श्रीविजयनगर से पंजीबद्ध बैयनामा बलवीर सिंह बहक बन्ता सिंह दिनांक 25.04.2001 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के द्वारा प्र.सं. 72/2016 अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम बन्ता सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2017 के अनुसार प्रमाणित है कि प्रतिवादी सं. 1 बन्ता सिंह के नाम की भूमि बन्ता सिंह को आवंटित एवं बन्ता सिंह की क्रयशुदा है न कि बन्ता सिंह की विरास्तन सम्पत्ति है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज छायाप्रतियां दान पत्र बन्ता सिंह बहक मनप्रीत सिंह दिनांक 16.10.2017, दान पत्र बन्ता सिंह बहक गुरप्रीत सिंह दिनांक 29.08.2022 एवं दानपत्र बन्ता सिंह बहक गुरप्रीत सिंह दिनांक 29.08.2022 जो कि उप पंजीयक जैतसर से पंजीबद्ध है के द्वारा बन्ता सिंह ने अपनी भूमि मनप्रीत सिंह व गुरप्रीत सिंह को हस्तांतरित कर दी है।

5. उक्त दस्तावेजों के अवलोकन एवं वाद पत्र के तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त यह प्रमाणित है कि भूमि बन्ता सिंह की स्वअर्जित सम्पत्ति थी जो कि उनके द्वारा जरिए दान पत्र हस्तांतरित कर दी गई है। भूमि बन्ता सिंह की विरास्तन सम्पत्ति नहीं थी, जबकि वादीगण के वाद का मुख्य आधार विवादित भूमि बन्ता सिंह की विरास्तन सम्पत्ति होने से वादीगण का विवादित भूमि में पैतृक हिस्सा होना था। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित है कि वादीगण को वादकारण हासिल नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:40:04 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रकार किया जाता है तथा वादीगण का वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 11/08/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर
श्री विजयनगर